

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

(खनन अनुमान)

संख्या: 2681/ए०जे०ए०-२/बालू खनन ई-टेन्डर

दिनांक: ॥ दिसम्बर, 2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाराबंकी में नदी तल स्थिति निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या 2026/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार छः माह की अवधि के लिए ई-टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध क्षेत्र के लिए दिनांक 24-01-2025 समय प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 31-01-2025 समय सांय 5.00 बजे तक के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

क० सं०	भू-स्वामी/ भू-स्वामियां का नाम	तहसील/ ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	चौहदी	सीमाएं		उप खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घनमी० में)	कुल धनराशि का 25 प्रतिशत अर्मेस्ट मनी की धनराशि रूपया			
						जियोंकाडिनेट							
						Pilars	Latitude						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10			
1	श्री पुतू पुत्र होली निर० सिसौडा, पो० बहरामघाट तह० रामनगर, जिला बाराबंकी	रामनगर/ धौखरिया	गा० सं०- 31मि/ 0.806, 33मि/०. 458हेठो	कुल रकबा 1.264हेठो	उत्तर	सीमा तपेसिपाह	A	N27°04'25" E81°28'57"	साधारण बालू	25280	रु० 410800/-		
					पूरब	राम सिंह आदि	B	N27°4'24.26" E81°28'59.41"					
					दक्षिण	रास्ता	C	N27°04'18.86" E81°28'56.95"					
					पश्चिम	राम सिंह आदि	D	N27°04'19.98" E81°28'54.68"					
2	श्री जुमराती, मुतजा हुसैन, निजामुददीन, कायामुददीन पुत्रगण गाजी हुसैन निर० सिसौडा बदोसराय तह० रामनगर जिला बाराबंकी	रामनगर/ सिसौडा	गा०सं०- 193ख, 194, 195क, 196,	1.458हेठो	उत्तर	A	27°04'40.7"N 81°28'38.5"E	साधारण बालू	29160	रु०-473850/-			
					दक्षिण	B	27°04'35.0"N 81°28'36.0"E						
					पूरब	C	27°04'35.7"N 81°28'32.9"E						
					पश्चिम	D	27°04'42.4"N 81°28'36.5"E						

2- परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।

3- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-२ पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-

क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्रों को विज्ञापित किया गया है।

ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल न० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण GST)

घ- क्या आवेदक भू-स्वामी है। (हॉ/नहीं)

ङ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो:-

भूस्वामी का नाम-

उप खनिज का नाम-

तहसील का नाम-

खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम-

गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या-

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

- विज्ञति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा—
- च- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 15,000/- के जमा का चालान।
- छ- प्री-बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
- ज- खनिज के प्रतिघनमीटर के लिए दी जाने वाली ई-निविदा की दर ₹०-६५/-प्रति घनमीटर (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली-२०२१ के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)
- झ- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण-पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ-पत्र।
- ट- भू-स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
- ठ- भू-स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी/फर्म ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।
- 4- बिन्दु संख्या-३ में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की रकैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- 5- यदि निविदाकार बिन्दु संख्या-३ में उल्लिखित वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक ०१-०२-२०२५ को समय प्रातः १०.००बजे से ०१.००बजे तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी के कक्ष में रखे बाक्स में जमा करना होगा।
- 6- ई-निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई-टेंडर पोर्टल <http://etenders.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
- 7- यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संरथा नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म कारजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
 - (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 8- निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-
- i- सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आईडी० (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - ii- तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
 - iii- निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Serch Active Tender) पर विलक कर अपनी रुचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु विलक करना होगा।
 - iv- निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
 - v- निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-३ में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैन कापी कर पी०डी०एफ० फाईल बनायी जानी होगी।
 - vi- ई-टेंडर डाकूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी०डी०एफ० फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफ लाइन (Pay offline) विकल्प पर विलक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर विलक करना होगा।

- vii— तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
- viii— निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर विलक करना होगा जिससे कि प्रीबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- ix— यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आइकन में विलक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर विलक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
- 9— ई-टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राउज़ बैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाईनेक्स, विण्डोज एक्ससी सर्विस पैक-3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्स्प्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इन्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
- 10— जिला स्तर पर ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू००१० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० १० अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- 11— भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर ०७ (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भू-स्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भू-स्वामी/भू-स्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में विन्दु संख्या-३ में दी गई समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- 12— विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भू-स्वामी के प्रथम इंकार हेतु निर्धारित अवधि ०७ कार्यदिवस के पश्चात् प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक ०१-०२-२०२५ अपरान्त ३.००बजे लोकसभागार कलेक्ट्रेट, बाराबंकी में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
- 13— भू-स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का २० प्रतिशत (प्रत्येक धनमीटर हेतु) चयनित आवेदक द्वारा-भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार संदेश धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भू-स्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
- 14— सफल निविदाकर्ता/भू-स्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टर्न्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 15— लेटर आफ इन्टर्न्ट निर्गत होने के ०३ कार्य दिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का २५ प्रतिशत प्रतिभूति तथा २५ प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भू-स्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष ७५ प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहार धारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक माह के अन्दर परिहार धारक को वापस कर दी जायेगी।
- 16— जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 17— खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

- 18— सफल निविदाकार/ भू-स्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंगप्लान/ स्कीम बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- 19— यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गई खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिए आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
- 20— पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
- 21— ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू आदि की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पर्हुच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 22— परिहार धारक द्वारा मा० न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय—समय पर दिये गये आदेश तथा उ०प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 तथा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 23— अन्य नियम एवं शर्तें जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3— आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4— प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
- 5— प्रबन्धक निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 6— निदेशक, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग सूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
- 8— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/ ई-डिस्ट्रिक मैनेजर, बाराबंकी।
- 9— समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बाराबंकी।
- 10— सहा० जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 11— नाजिर, कलेक्टर, बाराबंकी को सूचना बोर्ड पर चर्चा हेतु।

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

खनन परिहार हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण—किसी प्रकार के कंटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम — ख. उपखनिज का नाम— ग. जनपद का नाम— घ. तहसील का नाम— ङ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम— च. गाठा संख्या / खण्ड संख्या / जोन संख्या— छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)— ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञाप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार मूस्वामी है (हॉ / नहीं)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाइल नम्बर	
11.	ई-मेल आईडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेप्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पटाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेप्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेप्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि —— बैंक का नाम व शाखा —— ड्राफ्ट का नम्बर —— ड्राफ्ट का दिनांक —— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली ई-निविदा की दर— (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली—1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)	रु०—....प्रति घन मी० (अंकों में) रु०—.....प्रति घन मी० (शब्दों में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं ई-निविदा की समरत शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.....

संग्रहीत
संस्कृत
कालावधि

प्रतिशत
प्रति घन मी०

प्रति घन मी०